संख्या– 678/33–3–2014–100(4)/2014

प्रेषक,

एच0एस0चतुर्वेदी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2014

विषयः भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क वितरित किये जाने के हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–14 में प्राविधानित धनराशि को पी0एल0ए0 में रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या–1/1324/2014–1/315/2014, दिनांक 21 फरवरी, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2174/33–3–2013–125/2013, दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–14 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0–300.00 करोड़ के सापेक्ष अनुदान संख्या–14 (सामाजित सुरक्षा तथा कल्याण लेखाशीर्ष) के अन्तर्गत बी0पी0एल0परिवारों की महिलाओं को साड़ी हेतु रू0 219.00 करोड़ तथा वृद्धजनों को (पुरूषो एवं महिलाओं) के कम्बल हेतु रू0 81.00 करोड़ अर्थात कुल रू0300.00 करोड़ अवमुक्त किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या–14 में व्यवस्थित व जिलों को आवंटित उक्त धनराशि रू0 300.00 करोड़ को जिलो से वापस मंगाकर श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत धनराशि रू0 300.00 करोड़ को अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्तानुसार स्वीकृत पी0एल0ए0 में रखी जा रही धनराशि का आहरण वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा तथा धनराशि को शासनादेश संख्या–884/ 33–3– 2013–73/2012, दिनांक 19.03.2013 एवं शासनादेश संख्या–901/33– 3–2013–73/2012, दिनांक 19.03.2013 में निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

2– आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–2–यू0ओ0–222/दस–2014 दिनांक 28.03.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(एच0एस0चतुर्वेदी)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
5– एन0आई0सी0 की प्रति।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–2/वित्त (बजट) अनु0–2।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।